राजस्थान–सरकार

कार्यालय नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान
सहकार पथ 22 गोदाम, जयपुर

निविदा सूचना संख्याः दिनांक .....

ग्रुप .....

में उल्लिखितानुसार वाहनों के टायर टयूब्स/बैट्रीया व पुर्जो के प्रदाय एवं अन्य सामान/सेवाओं के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते :–

सामान्य नियम एवं शर्ते

निविदा देने वालों को निविदा भरते समय इन शर्तो को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाए भेजते समय इनका पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए ।

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहि। निविदा प्रपत्र में दिया गया स्थान प्रयोजन के लिए अपर्याप्त होने की स्थिति में निविदादाता निविदा प्रपत्र के दूसरी ओर लिख सकता हैं और अन्त में अपने हस्ताक्षर कर सकता हैं। निर्धारित प्रपत्र का उपयोग वहीं व्यक्ति/पक्ष आदि कर सकता हैं जिसके कि पक्ष में उसे जारी किया गया हैं,। अन्य के पक्ष में जारी किये निर्धारित निविदा प्रपत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति/पक्ष की निविदा रद्द कर दी जावेगी। निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार **निविदायें उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे (चपड़ी लगाकर मुहरबन्द किये जायें) में, संलग्न सभी प्रपत्रों को भरते हुये प्रस्तुत की जावेंगी।**
2. नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान जयपुर को एक बार प्रस्तुत की गई निविदाओं को कोई भी निविदादाता अपनी निविदा के किसी आंशिक या पूर्ण भाग को वापिस एवं परिवर्तन आदि करने के लिए स्वतन्त्र नहीं होगा। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पर उस समय तक, नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा विचार किय जा सकेगा जब तक कि निविदादाता को इसके संबंध में लिए गये अन्तिम निर्णय की सूचना न दे दी जावें। यदि कोई निविदादाता अपनी निविदा वापिस लेगा तो उसकी धरोहर राशि सरकार को समर्पित कर दी जावेगी। इसी प्रकार यदि उनकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् कोई निविदा दाता अपनी निविदा की शर्तो को मानने से मना करता हैं, प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं या विनिर्दिष्ट अवधि में निर्धारित प्रपत्र में करार निष्पादित नहीं करता हैं तो उसकी धरोहर राशि सरकार को समर्पित कर दी जावेगी। विनिर्माता के शुद्व एवं मूल अतिरिक्त पुर्जो एवं एसेसरीज, टायर ट्यूब्स एवम् बैट्रीज विनिर्माता की वर्तमान मूल्य सूची पर आपूर्ति करने के इच्छुक प्रदायकों को अन्य शर्तो के साथ निम्न शर्ते भी मान्य होगी :–

(क) विनिर्माता के अनुमोदित मूल्य पर निविदादाता द्वारा जिस दर से छूट दी जावेगी उसका स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में उल्लेख करना चाहिए। एक बार प्रस्तावित की गई छुट की दर को दर संविदा अवधि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(ख) निविदादाता को अपनी संविदा के साथ विनिर्माता के मूल्य सूची तथा केटलॉग की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, मूल्य सूची वही होनी चाहिये जो निविदा देने के समय में प्रभावशील हों।

(ग) निविदादाता विनिर्माता की मूल्य सूची में समय–समय पर हुए परिवर्तनों से जैसे ही वे होते हैं सरकार को अवगत करेगा तथा विनिर्माता द्वारा जारी की गई संशोधित मूल्य सूची की एक प्रति निःशुल्क देगा। सरकार को मूल्य परिवर्तन की सूची देने में असफल रहने को अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार द्वारा जान–बूझकर की गई चूक समझा जायेगा तथा उस पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

(घ) विनिर्माता की अनुमोदित मूल्य सूची के अनुसार दरें शुद्व एवं मूल्य अतिरिक्त पुर्जो एवं एसेसरीज के लिए उद्वत करना चाहिए।

(ड़) अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार वस्तुओं का प्रदाय उस मूल्य पर करेगें जो उन वस्तुओं के वास्तविक प्रदाय के समय प्रभावशील हो।

3. निविदा सिर्फ उन्हीं इकाईयों द्वारा ही दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं टायर ट्यूब्स एवम् बैट्रीज के निर्माता/अधिकृत विक्रेता हों। वे निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करेगे। उपर्युक्त उल्लिखित के अतिरिक्त अन्य व्यापारियों/पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुमोदित प्रदायक के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने निविदा सूचना, शर्तो एवं प्रदाय किए जाने वाली वस्तुओ की दशा स्पेशिफिकेशन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली हैं। यदि उसको इन शर्तो के किसी अंश के अर्थ या संविदा के किसी अन्य मामलों के संबंध में कोई संदेह हो, तो वह निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस संबंध में नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज, राज० जयपुर से पूछताछ करेगा और उनसे लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
5. संविदाकार/अनुमोदित प्रदायक अपनी संविदा या संविदा के किसी सारभूत अंश को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे भाड़े पर दे सकेगा।
6. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान उनके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत मानक स्टेन्डर्ड नमूनों से हर तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए और किसी ऐसे सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ किस्म एवं विवरण का होना चाहिए। सामान की किस्म के संबंध में नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा तथा निविदादाता अनुमोदित प्रदायक के लिए मान्य होगा। प्रदायक की किन्हीं ऐसी वस्तुओं के मामलें में जो अनुमोदित नहीं की जावें तथा इस प्रकार जिन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा या बदल दिया जावेगा और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों को अस्वीकार करने अथवा बदलें जाने के कारण प्रदायक को कोई हानि हुई तो वह पूर्ण रूप से प्रदायक/निविदादाता के जिम्मे होगी।

अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार नियन्त्रक, नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज, राज० जयपुरद्वारा मांग–पत्र भेजे जाने पर ज य प ु र , जोधपुर एवम् उदयपुर स्थित कार्यालयों में सामान की सप्लाई करेगा।

(क) नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग राज० जयपुर या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार के परिसरों में जा सकेगा और उसे सभी युक्तियुक्त समयों पर माल/ उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

7. यदि अनुमोदित किस्म, मेक या आकार के अलावा अन्य सामान प्रदाय होता हैं तो वह अस्वीकार कर दिया जायेगा तथ अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के उचित समय के भीतर उसे बदलना होगा यदि सार्वजनिक कार्य/हित के कारण या अन्य किसी कारण से सामान का बदला जाना संभव न हो तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य यथाचित रूप से कम कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा नियत किये मूल्य अन्तिम होगें।

(क) निविदादाता यह गारण्टी देगा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक वर्ष/दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त माल/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हैं यदि एक वर्ष/दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त माल/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गऐ हैं(तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाऐं रदद् करने का हकदार होगा। ऐसे रदद् किये जाने पर मालों/सामानों/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद् करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रददृ कर दिया गया हैं, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(ख) मशीनों एवं उपकरणें के मामलों में भी, उक्त खण्ड (क) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारन्टी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में टायर/बैट्रीयों यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा। यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें।

8. संविदाकार/अनुमोदित प्रदायक द्वारा अस्वीकृत वस्तुओं को अस्वीकृत की सूचना प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर–अन्दर उनके स्थान से निविदादाता द्वारा अवश्य हटा दिया जाना चाहिए। नियन्त्रक, मोटर गैराज, राज० जयपुर ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेगें, लेकिन वे किसी भी स्थिति में उनके परिसर में रहने से सामान की होने वाली हानि, क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगें।

9. अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार सामान की ठीक पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि रेल और सड़क मार्ग या वायुयान से परिवहन की सामान्य दशाओं में होने वाली क्षति को टाला जा सकें तथा नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को उनके स्थान पर अच्छी दशा में सामान की सुपुर्दगी मिल सकें। नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर द्वारा जॉच हेतु सामान का निरीक्षण करते समय जो कोई भी हानि, टूट–फूट या रिसाव से या कोई कमी पाई जायेगी तो ऐसी हानि या कमी को पूरा करने के लिए अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं दिया जायेगा।

10. समस्त दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिए तथा सभी अनुषंगिक प्रभारो को शामिल करना चाहिए। किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिये। यदि किसी प्रदायक के लिए करों को शामिल करते हुऐ दरों का उदृत करना सम्भव नहीं हो तो वह सामान की दरों तथा उन पर लगने वाले करों आदि की दरों को अलग–अलग उदृत कर सकता हैं। किसी मामलें में करों आदि की दरों के वारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करने की स्थिति में निविदादाता द्वारा उद्त दरों में बिक्री कर आदि को सम्मिलित किया हुआ समझा जायेगा, तथा उसके अनुसार वह बाद में बिक्री कर का दावा नहीं कर सकेगा। स्थानीय प्रदायों के मामलें में भी दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई ढुलाई भाड़ा या परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा और सामान की सुपुर्दगी नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर के निर्देशानुसार मॉग पत्र में वर्णित मात्रा में जयपुर स्थित परिसर, खण्डीय कार्यालय जोधपुर/उदयपुर के परिसर पर दी जायेगीं। यदि निश्चित दरें उदृत की गई हैं तो उन्हें संविदा अवधि के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

संविदाकार यह प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर को किये गये सप्लाई टायर–ट्यूब्स, बैट्रीज/सामान/मशीनरी एवम् उपकरण/पार्ट्स तथा कार्य एवम् सेवाऐं की कीमत से कम कीमत पर अन्य किसी को सप्लाई नहीं किये गऐ हैं।

11. निविदादाता जिसकी कि निविदा स्वीकार की जाती हैं आदेश मॉग–पत्र दिये जाने की तारीख से 15 दिन में, प्रदाय/मरम्मत संधारण की व्यवस्था करेगा। निविदादाता की प्रदाय व्यवस्था जब कभी जरूरत पड़ेगी विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार करनी होगी। विभाग किन्हीं या सम्पूर्ण मदों को क्रय करने अथवा नहीं करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा यदि खरीद नहीं की जाती हैं तो इसके लिए निविदादाता किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

(अ) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामलें में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा हैं।

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	**2.5%**
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए	**5%**
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए	**7.5%**
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	**10%**

(ब) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ा जाऐगा।

(स) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(द) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्वि कराना चाहता हैं तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं किन्तु वह उसके लिए निवेदित बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(य) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

12. वस्तुओं का प्रदाय सरकार/ नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर की संतुष्टि के अनुसार या इस इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समय में नहीं करने पर या इसी के अन्य कारणों या चूक करने पर प्रदायक की निविदा को किसी भी समय रदद् किया जा सकता हैं।

13. निविदा प्ररूप स्याही से भरी जानी चाहिए या टाईप की हुई होनी चाहिए। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। दरें शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जाएगी। निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, कोई उपरिलेखन (ओवर राईटिंग) नहीं किया जाना चाहिए शुद्वियॉ यदि कोई की जावे तो उन पर स्पष्ट लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

14. निविदादाता को निविदा और करार की शर्तो और प्रतिबन्धी की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उसे निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

(1)क) निविदा के साथ 2 प्रतिशत बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। यह राशि नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में जमा करायी जानी चाहिए।

क) (1) नकद शीर्ष ''8443–सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(2) शैड्यूल बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक।

(ख) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राज० के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध, में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनु–प्रमाणित प्रस्तुत करने पर निविदाऐं आमन्त्रित करने की सूचना में दिखाऐं गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। इनके द्वारा बोली प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत की जावेगी।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रदद् की गई निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमन्त्रित किया जाता हैं तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

(च) बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण (जब्त) कर लिया जाएगा :–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता हैं या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

(5) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

15.(1) सफल निविदादाताओं को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाऐं स्वीकार की गई हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बाराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई हैं, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

(2) निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :–

(क) नकद/किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैकर्स चैंक/चालान/बैक एफ.डी.आर. की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक, जिसे विधिवत गिरवी रखा जावेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टीफिकेशन, किसान विकास पत्र या कोई अन्य रिक्रप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हों। इन प्रमाण–पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जावेगा।

(5) एक बार की खरीद के मामलें में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता हैं तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की

अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाया नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

विशेष टिप्पणी :– चैक किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेगें।

16.(2) 1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति जो कि राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए, जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छुट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(3) प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत(जब्त) किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समहत करने के मामलें में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प्स लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्व प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

17. सफल निविदादाताओं को निर्धारित प्रपत्र में एक करार निष्पादित करना होगा और निविदा की विधिवत् क्रियान्वित के लिए नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर द्वारा दरों को स्वीकार कर लिये जाने संबंधि पत्र जारी किये जाने की तारीख से 15 दिन में पैरा 15 में वर्णित प्रतिभूति की रकम के रूप में जमा कराने होगें। यदि संविदा का निष्पादन नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जायेगा या निविददाता द्वारा संविदा को निष्पादित करने में किसी प्रकार की चूक की जावेगी तो उसके लिए या अन्य किसी प्रकार के कारणों से प्रतिभूति की राशि सरकार को समर्पित कर दी जायेगी। अनुमोदित संविदा के पूर्ण होने पर प्रतिभूति की रकम निविदादाताओं को लौटा दी जावेगी।ऐसी धरोहर/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा कोइ ब्याज नहीं दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का भुगतान अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार करेगा तथा नियन्त्रक, मोटर गैराज, जयपुर को स्टाम्प्स लगे हुऐं करार की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी।

17.(ए) निर्माता जिन्होने किसी अन्य या पूर्व संविदा के लिए धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जमा कराई हैं उन्हें इस संविदा के संबंध में आवश्यक धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करानी

18. अनुमोदित प्रदायकों/संविदाकारों के बिलों का भुगतान राजस्थान में परिपूर्ण अन्य बिलों के माध्यम से किया जायेगा।

19. यदि अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार माल का प्रदाय नहीं करते हैं या विनिर्दिष्ट अवधि में माल का प्रदाय नहीं करता हैं तो नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर ऐसे मामलों में उपर्युक्त पैरा 11 में विहित शास्ति के अतिरिक्त सरकार द्वारा बढ़ी हुई दरों पर खरीद करने पर किये गये अतिरिक्त व्यय अर्थात क्रय मूल्य एवं अनुमोदित प्रदायक संविदाकार द्वारा उदृत मूल्य का भुगतान करने हेतु 15 दिन का लिखित में नोटिस देगा और अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार से निर्धारित अवधि में नोटिस की अनुपालना करने के लिए कहेगा तथा ऐसे मामले में यदि नियन्त्रक, मोटर गैराज, राज० जयपुर उचित समझे तो किसी अन्य एजेन्सी के मार्फत प्रदाय की व्यवस्था करने में राज्य सरकार द्वारा वहन की गई हानि या व्यय की गई अधिक लागत को पूरा करने के लिए अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार को देय राशि के किसी शेष को रोक कर उपयोग करना तथा अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति की राशि का उपयोग करना विधिसम्मत होगा।

20. (1) बीमा वस्तुऐं गन्तव्य स्थान गोदाम पर अर्थात नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर के कार्यालय में अच्छी दशा में सुपुर्द जायेगी। यदि अनुमोदित प्रदायक/संविदाकार चाहे तो चोरी, नष्ट होने वाली हानि से आग या बाढ़, मौसम में खुले रहने से अन्यथा जैसेः– युद्व(वार) विद्रोह, दंगो आदि से होने वाली हानि/क्षति के विरूद्व मूल्यवान वस्तुओं का बीमा करा सकता हैं। बीमा के प्रभारण के व्यय अनुमोदित प्रदायक/निविदादाता को वहन करने होगें, और यदि कोई ऐसा व्यय किया जाता हैं तो उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जावेगा।

(2) अनुलग्नक की मान्यता अवधि तथा सुपुर्दगी अवधि परस्पर सहमति हो जाने पर बढ़ाई जा सकती हैं।

(3) निविदादाताओं द्वारा उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्ष समर्थन(कनवेसिंग)करने पर निविदा अमान्य हो जायेगी।

21. सरकार किसी भी निविदादाता के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार आरक्षित रखती हैं, उसके लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि निविदा न्यूनतम ही हो। इसी प्रकार किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को या सभी निविदाओं को बिना कारण के बताये अस्वीकार कर सकता हैं।

22. निविदादाता निविदा से संबंधित क्षेत्र के जहॉ उसका व्यवसाय स्थित हैं, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजियन की राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित फोटो स्टेट प्रति तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी सें बिक्री कर शोधन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा जोकि तीन माह पुराना नहीं होगा। परन्तु क्रयकर्ता प्राधिकारी के पास इस बात के विश्वास करने के कारण हो, जिन्हें अभिलिखित किया जाना चाहिए कि निविदादाता बिक्री कर का शोधन प्रमाण–पत्र किन्हीं वास्तविक कारणों से नहीं दे सकता हैं तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता हैं, परन्तु वह निविदादाता को उद्वत प्रमाण–पत्र बाद में किन्तु यह प्रमाण हर दशा में संविदा का इकरारनामा निष्पादित करने से पूर्व करने के लिए कहेगा। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन की राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

23 (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में फर्म द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

24. निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

25. (i) यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह हैं कि ऐसे पुनरादेश समान्यता निविदा में अंकित अनुमानित मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक के नहीं होगे यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

26. परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढ़ंग से उनको नहीं बदलता हैं तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कारवाई की जाएगी।

27. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

28. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यलय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

29. राजस्थान में उत्पादन करने वाली इकाईयों/लघु इकाईयों को नियमानुसार छुट व वरियता दी जायेगी।

30. वी.पी.पी. द्वारा भेजी गई कोई रेल्वे रसीद स्वीकार नहीं की जावेगी।

31. किसी भी पक्षकार (सरकार अथवा ठेकेदार) द्वारा समस्त कानूनी कार्यवाहियों यदि आवश्यक उत्पन हो, जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करनी होगी किसी अन्य स्थान पर नहीं।

32. नियन्त्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज० जयपुर शासन सचिव, सा०प्र०विभाग, राजस्थान, जयपुर की पूर्वानुमति से उपयुक्त मामलों में (ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित में दर्ज किया जायेगा) उपर्युक्त किसी भी शर्त को शिथिलता प्रदान कर सकेगा परन्तु यह

हैं कि ऐसा करना सरकारी हित में हो तथा यह और कि इसका अन्य निविदादाताओं एवं सरकार के हितों पर हानिकार प्रभाव न पड़े।

33. निविदा के साथ अनुलग्नक Annexure A-Compliance with the Code of Intergrity, Annexure B-Declartion by the bidder regarding qualification Annexure C-Grievance Redressal during Procurement Process एवम् Annexure D-Addition condtion of contract (केवल बिन्दु संख्या 1 तथा 2 के लिये) संलग्न हैं। बोलीदाता द्वारा इनमें से Annexure A तथा Annexure B पर भी हस्ताक्षर कर पदनाम, पता इत्यादि अंकित कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे।

34. निविदा में उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य किसी भी शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा।

स्थान .....
दिनांक .....

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
पता